न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/123/2025 रजि0 न0 2025/320

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री हरिमोहन जांगिड पुत्र श्री घनश्याम जांगिड, नि0 ग्राम, पोस्ट व तहसील–मलारना डूँगर, जिला–सवाईमाधोपुर – 322028	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 01.09.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 03.07.2025 के परिपेक्ष्य में सूचना आवेदन दिनांक 03.07.2025 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना आवेदन दिनांक 03.07.2025 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने बाबत अभिकथन किया गया है । अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है एवं इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 01.09.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय से प्रथम अपील जवाब पत्र संख्या लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2025/1160 दिनांक 22.08.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 03.07.2025 में चाही गई सूचना के संबंध मे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल पर जरिये आवेदन संख्या 293892132649204 दिनांक 09.07.2025 दर्ज रजिस्टर कर आवेदन मे वांछित सूचना ऑनलाइन पत्र स. 9555385772 दिनांक 10.07.2025 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय किया जाकर आवेदक को ऑनलाईन व डाक के माध्यम से भी सूचित किया जा चुका है । प्रति संलग्न है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है ।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया ऑनलाइन पत्र स. 9555385772 दिनांक 10.07.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को पंजीकृत–पत्र लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2025/1160 दिनांक 22.08.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा रहा है । उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
7. आज दिनांक 01.09.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर